न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : निशान्त जैन, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. 09 / 2021

प्रार्थी–	***बनाम***	**अप्रार्थी–**
राजस्थान सरकार जरिये थानधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी		1. स्वरूपाराम पुत्र नरसिंगाराम जाति विश्नोई निवासी पंवार की ढाणी जोलियाली पुलिस थाना झंवर जिला जोधपुर 2. कमलेश कुमार पुत्र श्रवण कुमार जाति विश्नोई निवासी भालणी पुलिस थाना बागोड़ा जिला जालोर 3. हनुमानराम पुत्र गंगाराम जाति विश्नोई निवासी बेरीगांव पुलिस थाना गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री दिनेश विश्नोई, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 2 व 3 सूचना बावजूद अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक : 28.08.2024

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 17.12.2020 श्री श्योराजमल मीणा आरपीएस वृत गुड़ामालानी को श्री ओमप्रकाश उज्जवल आरपीएस अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसओजी जोधपुर रेंज जोधपुर ने जरीये मोबाइल सूचना दी कि सरहद रामजी की गोल [illegible] सांचोर जाने वाले एनएच 68 पर स्थित रामदेव होटल शेरगढ़ जोधपुर के पास हनुमान पुत्र गंगाराम जाति विश्नोई (माल) निवासी बेरीगांव पुलिस थाना गुड़ामालानी [illegible]का साथी कमलेश कुमार पुत्र श्रवण कुमार जाति विश्नोई निवासी भालणी पुलिस थाना बागोड़ा जिला जालोर डीजल खरीदकर अवैध व्यापार करते है। जिस

Signature Not Verified
Digitally signed by Nishant Jain
Date: 2024.09.06 18:46:11 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

पर श्री रमेश कुमार कानि एवं कांनि श्री हकीम खान जरिये सरकारी गाडी आरजे 04 युए 5544 चालक श्री हरीसिंह के साथ रामजी का गोल में एनएच 68 पर स्थिति रामदेव होटल के बांयी तरफ एक बोलेरो केम्पर लाईफ स्टाइल नम्बर आरजे 19 जीडी 4645 खडी मिली जिसके पास एक व्यक्ति मिला जिसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम कमलेश कुमार पुत्र श्रवण कुमार जाति विश्नोई (बेनीवाल) पेशा मजदूर निवासी भालणी पुलिस थाना बागोड़ा जिला जालोर होना बताया पास खडी गाडी के बारे में पूछा तो वह गाडी व होटल का मालिक हनुमान पुत्र गंगाराम जाति विश्नोई (माल) निवासी बेरीगांव पुलिस थाना गुड़ामालानी की होना बताया। श्री रमेश कुमार को मिली इत्तला से कमलेश कुमार अवगत करवाकर पास में पड़े जरीकन 50–50 लीटर के जिसमें चार जरीकेन भरे हुए व एक जरीकन खाली पाया जिसके बारे में कमलेश को पूछा तो उक्त जरीकेनों में डीजल होना बताया तथा जरीकनों के पास मे एक 10 लीटर का डीजल नापक यन्त्र पाया गया। जरीकनों को खोलने पर उसके अन्दर तरल पदार्थ डीजल होना पाया गया। जिसके बारे में शख्स कमलेश कुमार से अपने कब्जे में रखने बाबत् कोई दस्तावेज/लाईसेन्स/अधिकार पत्र नहीं होना बताया। शख्स कमलेश कुमार के द्वारा अवैध डीजल अपने कब्जे में रखना एवं अवैध डीजल का क्रय विक्रय करना तथा मापक उपकरण द्वारा जरीकेन में रखे अवैध डीजल की कुल मात्रा 198.560 लीटर पाया गया। जिस पर गाडी व अवैध डीजल निकालने की पाईप मय मोटर को जब्त कर कब्जा पुलिस लिया। इस प्रकार अपराध अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रमाणित है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह इस्तगासा पेश कर निवेदन है कि प्रकरण हाजा मय जब्तशुदा अवैध डीलज 198.560 लीटर, बोलेरा कैम्पर नम्बर आरजे 19 जीडी 4645 को राजसात करवाते हुए अंतरिम नियमानुसार निस्तारण किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

2 प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये पंजीबद्ध डाक द्वारा नोटिस जारी किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नही किया। प्रस्तुत इस्तगासा में वर्णित वाक्यात एवं संलग्न दस्तावेजात के प्रतिकूल अप्रार्थीगण द्वारा कोई प्रतिवादीय अभिकथन प्रकट नहीं किया गया है, जिससे अप्रार्थीगण की इस अपराध के प्रति मौन स्वीकारोक्ति प्रतीत होती है। प्रकरण में अन्य कोई साक्ष्य लिये जाने एवं इस्तगासा को संदेह से परे साबित करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती हैं। इस पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय सुनवाई कर प्रस्तुत अभिलेखों एवं रिपोर्ट के आधार पर अंतिम बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nishant Jain
Date: 2024.09.06 18:46:11 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी को सुना। अप्रार्थीगण द्वारा हाईवे के किनारे अवैध रूप से पेट्रोलियम पदार्थ डीजल की बिना किसी वैध परमिट/लाईसेंस के बिक्री की जा रही थी तथा पुलिस द्वारा मुखबीर की सूचना के आधार पर दबिश देकर मौके से बरामद 198.560 लीटर डीजल के बाबत कोई संतोषप्रद जवाब/कारण प्रकट नहीं किये जाने पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मुलजिम अप्रार्थीण द्वारा अवैध रूप से डीजल अपराध अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रमाणित है। अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस सूचना दिये जाने के बावजूद अपना जवाब एवं पक्ष प्रस्तुत नही किया है। ऐसे में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के प्रावधानों विपरित एवं धारा 7 के अधीन दण्डनीय कृत्य के फलस्वरूप जब्तशुदा अवैध डीजल 198.560 लीटर एवं इसके अवैध विक्रय हेतु प्रयुक्त वाहन बोलेरो कैम्पर नम्बर आरजे 19 जीडी 4645 को राजसात किये जाने का समुचित आधार मौजूद है।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के कब्जे मे आवश्यक वस्तु अधिनियम आदेश 2005 के उल्लंघन मे पाये गये जब्तशुदा अवैध डीलज 198.560 लीटर, बोलेरा कैम्पर नम्बर आरजे 19 जीडी 4645 को राजसात किये जाने का आदेश दिया जाता है। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक निर्णय नजीर 2009 डीएनजे (एससी) पेज 340 कलक्टर गन्जम बनाम रमेशचन्द्र पाण्डे मे पारित निर्णय दिनांक 06.02.2009 के अनुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत जब्त किये गये वाहन की एवज मे वाहन के बाजार मूल्य तक जुर्माना लगाया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण मे पुलिस थाना गुड़ामालानी द्वारा जब्त एवं इस न्यायालय द्वारा राजसात किये गये उक्त वाहन बोलेरो कैम्पर नम्बर आरजे 19 जीडी 4645 के एवज मे उसके अनुमानित मूल्य 8,00,000 लाख का जुर्माना वाहन मालिक अप्रार्थी सं. 1 स्वरूपाराम पुत्र नरसिंगाराम जाति विश्नोई निवासी पंवार की ढाणी जोलियाली [illegible] जोधपुर पर अधिरोपित किया जाता है। यह जुर्माना राशि [illegible] उक्त डीजल की राशि के अतिरिक्त है, जो वाहन [illegible] राशि अदा कर दें तो उक्त राजसात किया गया वाहन उन्हे नियमानुसार सुपर्द कर दिया जावें। यदि वाहन मालिक द्वारा जुर्माना राशि जमा नही करवाई जाती है तो पुलिस अधीक्षक बाड़मेर को आदेश दिये जाते है कि वह राजसात किये गये उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Nishant Jain
Date: 2024.09.06 18:46:11 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

वाहन बोलेरो कैम्पर का राज्य पक्ष मे निस्तारण करवावें। इसके अलावा उक्त राजसात किये गये जब्तशुदा अवैध डीलज 198.560 लीटर का सार्वजनिक नीलामी द्वारा निस्तारण कर प्राप्त राशि राजकोष मे जमा कराने की कार्यवाही करें। इस आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक बाड़मेर एवं थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी को सूचनार्थ एवं नियमानुसार पालनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

5. आदेश आज दिनांक 28.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(निशान्त जैन)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Nishant Jain
Date: 2024.09.06 18:46:11 IST
Reason: SelfAttested